

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
क्रमांक:एफ4()परावि/पी.सी./आदर्शग्राम/06/12 22 जयपुर,दिनांक: 24-06-2007
प्रशासनिक स्वीकृति
(नये कार्यों के लिए)

“दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना” के अन्तर्गत जिला परिषदों के पत्रांक 01 दिनांक .1.1.2007 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वर्ष 2007-08 में सम्पादित काराये जाने वाले निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(अ) जिला:- चूरु

(ब) गांव का नाम:- ददरेवा पंचायत का नाम:- ददरेवा पंचायत समिति:- राजगढ


(स) गांव के चयन की तिथि 20-12-2006

(राशि रु. लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि		
		कुल	DDUAGY मद से (90%)	दिशा निर्देश के पैरा 2.5 के अनुसार श्रमदान अथवा जन सहयोग (10%)
1	खुरा निर्माण गोगाजी चौक में 500 मी.	4.00	3.60	0.40
2	वर्षा जल संचयन हेतु 6 कुओ व तालाब की मरम्मत एवं निर्माण	2.00	1.80	0.20
3	जल ग्रहण विकास हेतु 2 जलग्रहण कूप निर्माण	3.00	2.70	0.30
4	चरागाह विकास ग्राम में पशु संचय के मुताबिक 50 है	2.00	1.80	0.20
5	भूमिगत जल निकासी हेतु नाला एवं चैम्बर निर्माण	3.00	2.70	0.30
6	खेल मैदान की चार दीवारी उची करना, बासकेट बाल व खो-खो हेतु प्लेट फार्म	2.00	1.80	0.20
7	उचित मूल्य की दुकान का निर्माण	3.00	2.70	0.30
8	आई.ई.सी.	0.50	0.50	0.00
	योग	19.50	17.60	1.90

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न शर्तों का पालन किया जायेगा :-

- 1- तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार जारी करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जावेगा।
- 2-ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2004 में निर्दिष्ट मापदण्डों एवं व्यवस्थाओं तथा योजना के प्रावधानों की पालना करते हुये ही कार्य का सम्पादन किया जावेगा।
- 3- आई.ई.सी. गतिविधि का सम्पादन जिला स्तर से निर्धारित एन.जी.ओ. द्वारा किया जावेगा।


(खेमराज)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

- 1- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चूरु।
- 2- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजगढ (चूरु)।
- 3- सरपंच, ग्राम पंचायत, ददरेवा पंचायत समिति, राजगढ (चूरु)।



शासन सचिव एवं आयुक्त